भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 968
दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

968. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डीः
सुश्री नुसरत जहां रूहीः
एडवोकेट डीन कुरियाकोसः
श्री गुरजीत सिंह औजलाः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली और मुंबई में महिलाओं और किशोरों/बच्चों के विरुद्ध अपराध विगत दस वर्षों के दौरान बढ़े हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;
(ग) विचारण के दौरान महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से कितने पीड़ितों को कानूनी मदद और संरक्षण प्राप्त हुआ;
(घ) क्या सरकार के पास ऐसी महिलाओं और किशोर अपराधियों की सुरक्षा और उन्हें लाभकारी रोजगार में संलग्न करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों में विगत 2 वर्षों से कमी आई है। तथापि मुम्बई में यह बढ़ रहे हैं। विगत 10 वर्षों में दिल्ली और मुम्बई में महिलाओं और बच्चों के प्रति किए गए अपराधों का वर्ष-वार डाटा अनुलग्नक । में दिया गया है।

(ग) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार अपनी वन स्टॉप सेंटर स्कीम के तहत हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, पुलिस, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक काउंसलिंग और अस्थाई आश्रय सहित विस्तृत सेवाओं के माध्यम से एक छत के नीचे समेकित सहयोग और सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय महिला हेल्पलाइन स्कीम के सार्वभौमीकरण के माध्यम से सहयोग और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से 24 घंटे टॉल फ्री टेलीकॉम सुविधा भी प्रदान करता है। अब तक 2.27 लाख महिलाएं ओएससी स्कीम और 38.62 लाख महिलाएं डब्ल्यूएचएल स्कीम से लाभान्वित हुई हैं।

इसके अलावा सरकार ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) अधिनियमित किया है, जो देखभाल के जरूरतमंद बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से

संबंधित सभी मामलों पर लागू होता है। मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की सहायता के लिए एक केंद्र प्रायोजित बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्कीम (पहले समेकित बाल संरक्षण स्कीम) भी कार्यान्वित कर रहा है, जैसा जेजे एक्ट, 2015 के तहत परिकल्पित किया गया है। स्कीम के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2018-19 के दौरान सीपीएस स्कीम से लाभान्वित होने वाले बच्चों का विवरण अनुलग्नक ।। में दिया गया है।

(घ) और (ड़) : जेजे एक्ट, 2015 के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को बाल देखरेख संस्थानों में रखा जाता है जहां बच्चे को कौशल विकास, वोकेशनल प्रशिक्षण, मनोरंजन सुविधाएं, मानसिक स्वास्थ्य पहलों इत्यादि सहित विभिन्न पुनर्वास और पुनः समेकन सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

****

अनुलग्नक-I

'महिलाओं के विरुद्ध अपराध' विषय के बारे में श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी, सुश्री नुसरत जहां रूही, एडवोकेट डीन कुरियाकोस और श्री गुरजीत सिंह औजला द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 968 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित विवरण

2008-2017 के दौरान दिल्ली और मुंबई शहर में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध के तहत दर्ज किए गए मामलों का विवरण

क्र.सं	शहर	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	दिल्ली	3515	3701	3886	4489	5194	11449	13260	14766	13803	11542
2	मुम्बई	1571	1332	1409	1700	1781	2946	3974	4819	5128	5453

2008-2017 के दौरान दिल्ली और मुंबई शहर में बच्चों के खिलाफ कुल अपराध के तहत दर्ज किए गए मामलों का विवरण

क्र.सं.	शहर	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	दिल्ली	1577	2405	3029	3398	3635	6124	8139	8035	7392	6844
2	मुम्बई	364	369	532	425	517	902	1456	3187	3400	3790

2008-2017 के दौरान दिल्ली और मुंबई शहर में कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के तहत रिपोर्ट किए गए मामलों का विवरण

क्र.सं.	शहर	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	दिल्ली	340	397	340	669	1028	1460	1671	1981	2368	2677
2	मुम्बई	581	591	603	643	593	819	926	938	946	914

* स्रोत : भारत में अपराध

अनुलग्नक-।।

'महिलाओं के विरुद्ध अपराध' विषय के बारे में श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी, सुश्री नुसरत जहां रूही,एडवोकेट डीन कुरियाकोस और श्री गुरजीत सिंह औजला द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 968 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित विवरण

वर्ष 2018-19 के दौरान इन संस्थानों में रह रहे बच्चों के संख्या के साथ देश में देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीएनसीपी) के लिए बाल देखरेख संस्थानों का विवरण

क्र.म.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थागत देखरेख (गृह)		खुले आश्रय गृह		विशिष्ट दत्तकग्रहण ऐजेंसियां	
		सहायकों की सख्या	लाभार्थी	सहायकों की सख्या	लाभार्थी	सहायकों की सख्या	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	66	2316	13	342	14	144
2	अरुणाचल प्रदेश	4	76	0	0	1	9
3	असम	37	1765	3	51	23	69
4	बिहार	26	1567	5	134	13	138
5	छतीसगढ़	65	2325	10	117	12	120
6	गोवा	23	1188	3	378	2	16
7	गुजरात	45	1706	0	0	12	86
8	हरियाणा	24	1403	21	614	7	47
9	हिमाचल प्रदेश	33	1227	3	38	1	11
10	जम्मू और कश्मीर	17	823	0	0	2	0
11	झारखंड	36	992	5	141	15	93
12	कर्नाटक	80	2998	40	1153	25	107
13	केरल	30	788	4	100	12	65
14	मध्य प्रदेश	67	2804	8	348	26	243
15	महाराष्ट्र	67	2605	3	86	13	136
16	मणिपुर	42	1160	14	296	7	55
17	मेघालय	44	960	3	159	3	6
18	मिजोरम	36	1195	0	0	5	50
19	नागालैंड	39	477	3	35	4	5
20	ओडिशा	96	6859	12	244	23	223
21	पंजाब	13	463	0	0	0	0
22	राजस्थान	85	2459	22	401	24	99
23	सिक्किम	12	355	3	60	4	20
24	तमिलनाडु	189	11915	12	264	20	169
25	त्रिपुरा	23	717	2	58	6	49
26	उत्तर प्रदेश	77	3162	20	500	12	120
27	उत्तराखंड	20	437	2	50	2	15
28	पश्चिम बंगाल	73	5436	49	1326	32	460
29	तेलंगाना	42	1343	0	0	11	342
30	अंडमान और निकोबार	3	101	-	0	-	0
31	चंडीगढ़	7	252	0	0	2	17
32	दादर और नागर हवेली	-	0	-	0	-	0
33	दमन और दीव	0	0	-	0	-	0
34	लक्षद्वीप	-	0	-	0	-	0
35	दिल्ली	28	1447	13	380	3	72
36	पुदुचेरी	27	1043	2	42	2	16
	योग	**1476**	**64364**	**275**	**7317**	**338**	**3002**

अनुलग्नक-II

'महिलाओं के विरुद्ध अपराध' विषय के बारे में श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी, सुश्री नुसरत जहां रूही, एडवोकेट डीन कुरियाकोस और श्री गुरजीत सिंह औजला द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 968 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित विवरण

II. वर्ष 2018-19 के दौरान इन संस्थानों में रह रहे बच्चों की संख्या के साथ देश में कानून का उल्लंघन (सीसीएल) करने वाले बच्चों के लिए सीससीआई का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परेक्षण गृह	लाभार्थी	विषेय गृह	लाभार्थी	प्रेक्षण सह विशेष गृह	लाभार्थी	सूरक्षा का स्थान	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	12	78	2	10	2	199	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	13	0	0
3	असम	5	120	1	10	0	0	1	2
4	बिहार	12	860	1	20	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	13	448	6	61	0	0	3	81
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	3	31	0	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	4	273	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	2	46	0	0	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	5	281	2	0	0	0	0	0
11	झारखंड	10	405	1	11	0	0	0	0
12	कर्नाटक	16	60	1	21	0	0	0	0
13	केरल	9	25	2	3	0	0	1	6
14	मध्य प्रदेश	18	448	3	55	0	0	0	0
15	महाराष्ट्र	47	1705	0	0	0	0	0	0
16	मणिपुर	4	40	0	0	1	40	0	0
17	मेघालय	3	48	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	8	145	2	61	0	0	0	0
19	नागालैंड	12	32	2	6	0	0	0	0
20	ओडिशा	0	0	0	0	4	298	0	0
21	पंजाब	4	137	2	52	0	0	0	0
22	राजस्थान	34	504	0	0	0	0	0	0
23	सिक्किम	3	55	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	7	190	2	50	0	0	1	24
25	त्रिपुरा	3	7	1	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	29	1678	2	6	0	0	1	11
27	उत्तराखंड	9	79	2	22	0	0	2	19
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	18	1660	0	0
29	तेलंगाना	9	184	1	49	1	97	0	0
30	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	1	22	0	0	0	0	0	0
32	दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35	दिल्ली	4	261	1	12	0	0	1	37
36	पुदुचेरी	2	3	0	0	0	0	0	0
		288	**8165**	**34**	**449**	**27**	**2307**	**10**	**180**

*****